


शुद्धि पत्र

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के सभी आय वर्गों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने हेतु रूपया 384.00 करोड (तीन सौ चौरासी करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति के संबंध में निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या-32 दिनांक 07.06.2019 की कंडिका 5 को विलोपित करते हुए निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-104-वृद्ध तथा निःसहाय व्यक्तियों का कल्याण उपशीर्ष-0109-मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना-0109.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन तथा 0109.13.01-सहायक अनुदान-कार्यालय व्यय, विपत्र कोड-51-2235021040109, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0114-मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना-0114.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड- 51-2235027890114 तथा मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण-लघु शीर्ष-796-जनजातिय क्षेत्र उपयोजना-उपशीर्ष-0125-मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना-0125.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड- 51-2235027960125 में बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कुल रूपये 384.00 करोड (तीन सौ चौरासी करोड) रूपये का बजट उपबंध के अधीन व्यय किया जायेगा।

2. शेष यथावत रहेगा।



संयुक्त निदेशक (मु०)
समाज कल्याण विभाग।

33

जापांक- 3/यो0-03/2019

/...../दिनांक- 8.6.19

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- 3/यो0-03/2019

33

/...../दिनांक- 8.6.19

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।




संयुक्त निदेशक (मु०)

जापांक- 3/यो0-03/2019

33

/...../दिनांक- 8.6.19

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।



संयुक्त निदेशक (मु०)